

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/ 300  
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 19-1-24


परियोजना निदेशक,  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
प्लॉट नं. 66-67 सिद्धि विनायक कॉलोनी  
दादाजी कॉलेज के पास इंदौर रोड खण्डवा

विषय:- खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।  
**Online Proposal No. (FP/MP/ROAD/152561/2022)**

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 289 दिनांक 15.01.2024 एवं आपका पत्र क्रमांक 2432 दिनांक 18.01.2024

--000--

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में लेख है कि खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा 03 बिंदुओं के जानकारी के संबंध में परिक्षेत्राधिकारी खण्डवा से आवश्यक अभिलेख के साथ समन्वय कराने हेतु अधिनस्थो को निर्देशित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।


  
वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 19-1-24

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2024/ 301  
प्रतिलिपि :-

- 1- उपवनमण्डलाधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। पूर्ण प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत करावें।
  - 2- वनपरिक्षेत्राधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आवेदक संस्था से समन्वय कर पूर्व में प्रेषित 05 बिंदु एवं संलग्न पत्र में दर्शित 03 बिंदुओं के संबंध में आवश्यक अभिलेख के साथ स्पष्ट प्रतिवेदन उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करें।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल खण्डवा